[2020] 1 एस सी आर 170

अहमद अली कुरैशी और ए. एन. आर.

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 138)

30 जनवरी, 2020

[अशोक भूषण और एम. आर. शाह, न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 – अंतर्निहित शक्ति उच्च न्यायालय – अपीलकर्ता-अभियुक्त और प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता एक ही परिवार से है और पड़ोसी हैं – 2015 में,
आरोपी के पिता ने विभाजन के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया
संपत्तियों क जिसके कारण पार्टियों के बीच कई विवाद हुए –29.08.16 को, शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर किया आरोप लगाया कि 19.07.16 को जब उनकी बेटियां सार्वजनिक गई थीं पानी लाने के लिए घर के बाहर हैंडपंप, आरोपी ने उनके प्रति अभद्र इशारे किए और उन्हें पीटा -- आगे आरोप लगाया गया कि उसी दिन आरोपी
लोग शिकायतकर्ता के घर में घुस गए और उसे और उनकी बेटियां पीटना शुरू कर दिया- आवेदन खारिज कर दिया गया - एक और शिकायत थी पहले ; आवेदन में लगाए गए समान आरोपों को लगाते हुए दायर किया –सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को तलब किया- अपीलकर्ताओं ने दायर की याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन – खारिज – अपील पर, माना जाता है: विवाद शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के पिता के बीच संपत्ति के संबंध में यह कथित घटना से बहुत पहले से लंबित था। 19.07.16 –तथ्य कि घटना की उसी तारीख को, पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और दोनों पक्षों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 151, 107 और 116 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और उन्हें शांति बनाए रखने की आवश्यकता थी, यह एक स्पष्ट संकेत है
उनके बीच झगड़े क यह छह सप्ताह से अधिक था। इसके बाद पहली बार सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी इसके अलावा, सत्र न्यायाधीश ने अपने समन आदेश में दूसरी घटना पर विश्वास नहीं किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता, उनके पिता और अन्य
आरोपी घर में घुसा और शिकायतकर्ता को पीटना शुरू कर दिया। - कथित घटना के एक हिस्से पर विश्वास न करना शिकायत में आरोपी के पहले हिस्से पर संदेह की छाया पड़ती है तथ्यों के आधार पर, शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत द्वेष के कारण गुप्त उद्देश्य से आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी –उच्च अदालत ने हालांकि भजन लाल का मामला, में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया, लेकिन तथ्यों की जांच नहीं की कि क्या वर्तमान मामला है। ऐसा मामला जो उसमें उल्लिखित किसी भी श्रेणी में आता हो –उपस्थित मामला स्पष्ट रूप से भजन लाल के मामले की श्रेणी VII में आता है उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल -

आपराधिक कार्यवाही अपीलकर्ताओं के खिलाफ रद्द किया जाता है दंड संहिता, 1860 ss .323, 354, 452, 504, 506 – यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - धारा 4, 7 और 8।

अदालत अपील को स्वीकार करते हुए,

आयोजित: वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां पार्टियां संबंधित हैं और पड़ोसी हैं। संपत्ति को लेकर चल रहा है दीवानी विवाद आरोपी के पिता और शिकायतकर्ता के बीच . यह स्पष्ट है शिकायतकर्ता और पिता के बीच संपत्ति के संबंध में विवाद अपीलकर्ता की याचिका कथित घटना से बहुत पहले लंबित है। 19.07.16. तथ्य यह है कि घटना की उसी तारीख को पुलिस घटनास्थल का दौरा किया और धारा 151 के तहत कार्रवाई की, दोनों पक्षों और दोनों पक्षों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107, 116 शांति बनाए रखने की आवश्यकता प्रकृति के लिए एक स्पष्ट संकेत है पक्षों के बीच झगड़ा यह छह सप्ताह से अधिक था। इसके बाद पहली बार धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी दर्ज की गई थी सत्र न्यायाधीश की अदालत। एक और तथ्य जो क्रम से प्रकट होता है। सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को तलब करने की संख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है वही अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत में दो का उल्लेख है 19.07.2016 की घटनाएं। एक घटना जो नदी के पास हुई थी शिकायतकर्ता के घर के बाहर सार्वजनिक हैंडपंप और दूसरा, उसी दिन शिकायतकर्ता के घर में जहां उसने आरोप लगाया था अपीलकर्ताओं, उनके पिता और अन्य आरोपियों ने प्रवेश किया घर में घुसकर शिकायतकर्ता और उसकी बेटियों को पीटना शुरू कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने अपने समन आदेश में दूसरे आदेश पर विश्वास नहीं किया घटना जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है। के एक हिस्से पर विश्वास न करना जैसा कि अदालत की शिकायत में आरोप लगाया गया है, घटना स्पष्ट रूप से बताती है
जैसा कि आरोप लगाया गया है, घटना के पहले हिस्से पर संदेह की छाया। सत्र न्यायाधीश ने विवादित फैसले में ध्यान नहीं दिया है पक्षकारों के बीच लंबित सिविल वाद की संख्या। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां आपराधिक कार्यवाही की गई है शिकायतकर्ता द्वारा निजी कारणों से गुप्त उद्देश्य से शुरू किया गया और व्यक्तिगत द्वेष हालांकि उच्च न्यायालय ने देखा कि हरियाणा राज्य और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में इस न्यायालय का निर्णय भजन लाल और अन्य ने विवादित फैसले में लेकिन ऐसा नहीं किया मामले के तथ्यों की जांच करें कि क्या वर्तमान एक मामला है
जो भजन लाल में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में आता है मामला य वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से भजन की श्रेणी VII में आता है। भजन लाल का मामला और उच्च न्यायालय किसके अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहे आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 शुरू की गई शिकायत से। आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देना
अपीलकर्ता एक आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देगा जो दुर्भावनापूर्ण रूप से गुप्त उद्देश्यों के साथ स्थापित, इस तरह की अनुमति देना आपराधिक कार्यवाही जारी रखना और कुछ नहीं बल्कि अपराध का दुरुपयोग है। न्यायालय की ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। शिकायत केस नंबर 1 द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही
2017 को रद्द कर दिया गया है।

न्यायालय का **निर्णय** किसके द्वारा सुनाया गया था
अशोक भूषण, जे।

1. यह अपील उच्च न्यायालय के दिनांक 21.02.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा 2017 के शिकायत मामले संख्या 1 की आरोपी अपीलकर्ताओं द्वारा दायर धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन किया गया है। अस्वीकार कर दिया गया. हाई कोर्ट के आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील दायर की गयी है.

2. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्य ध्यान देने योग्य हैं:

(i) अपीलकर्ता आरोपी और प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता एक ही परिवार से हैं और पड़ोसी हैं। आरोपी के पिता अनवारुल हक ने संपत्तियों के बंटवारे को लेकर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में शिकायतकर्ता के खिलाफ ओएस नंबर 744/2015 दायर किया है, जिसका मुकदमा अभी भी लंबित है। पक्षों के बीच मुक़दमे के कारण पक्षों के बीच कई बार तकरार हुई।

(ii) दिनांक 19.07.2016 को पार्टियों के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस 19.07.2016 को ही घटना स्थल पर गई और धारा 151 , 107 और 116 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू की। सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई । मौके पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के खिलाफ मु.अ.सं.

(iii) 29.08.2016 को धारा 156(3) के तहत एक आवेदनशिकायतकर्ता सज्जाद क़ुरैशी द्वारा आरोपी अहमद अली क़ुरैशी, और लियाकर अली क़ुरैशी के साथ-साथ उनके पिता अनवारुल हक और उनके तीन अन्य भाइयों के खिलाफ दिनांक 19.07.2016 को शाम लगभग 06:00 बजे की घटना का जिक्र करते हुए सीआरपीसी दायर की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता की दो बेटियां फिरदौस बानो और गुलिश्ता बानो पानी लेने के लिए शिकायतकर्ता के घर के बाहर सार्वजनिक हैंडपंप पर गई थीं, उसी समय आरोपी अहमद अली और लियाकत अली ने अश्लील हरकतें कीं। उनकी तरफ और उनके स्तन दबाने लगा. बेटी फिरदौस बानो को नाखून से चोटें आईं। लड़कियों को भी पीटा गया. शोर मचाने पर शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और हस्तक्षेप किया।

(iv) आगे आरोप लगाया गया कि उसी दिन, अनवारुल हक, आरोपी और उनके भाई समान इरादों से शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुस गए और गंदी गालियां दीं और घर के अंदर बेटियों को पीटना शुरू कर दिया। आवेदन में आगे आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने घटना की जानकारी दी, लेकिन न तो आवेदन लिया गया और न ही मेडिकल कराया गया. आवेदन पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक जौनपुर, पुलिस महानिदेशक लखनऊ आदि को भी भेजा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली। आवेदन में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 , 354 , 504 , 506 , 452 और पॉस्को एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।

(v) आवेदन पर, विविध. 2016 का केस नंबर 14 दर्ज किया गया था. विद्वान अतिरिक्त जिला/सत्र न्यायाधीश (पोस्को अधिनियम) ने शिकायतकर्ता के आवेदन पर विचार किया और दिनांक 14.10.2016 के आदेश द्वारा आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह भी देखा कि पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के अनुसार उक्त घटना के संबंध में सीआरपीसी की धारा 151 , 107 और 116 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(vi) शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 22.11.2016 के फैसले के तहत आवेदन को खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, हालांकि, यह देखा गया कि आवेदक के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन दाखिल करने का एक वैकल्पिक उपाय है।

(vii) आवेदन पहले ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा जा चुका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर, पुलिस अधीक्षक ने सीओ (सिटी), जौनपुर को संबोधित पत्र दिनांक 07.11.2016 द्वारा शिकायत की जांच करने का

निर्देश दिया। शिकायत की जांच करें. सीओ (सिटी), जौनपुर ने जांच की, शिकायतकर्ता फिरदौस बानो और गुलिश्तान बानो की बेटियों के साथ-साथ आरोपियों सहित विभिन्न लोगों के बयान दर्ज किए और 11.12.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। पूछताछ में साबित हुआ.

(viii) इसके बाद शिकायतकर्ता ने 2017 की शिकायत केस नंबर 1 दिनांक 04.10.2017 को अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों के खिलाफ वही आरोप दोहराए जो धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत उसके आवेदन में लगाए गए थे।

(ix) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 19.12.2017 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को धारा 323 , 353 , 504 , 506 आईपीसी और धारा 7/8 पॉस्को अधिनियम के तहत तलब किया। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया 2017 के शिकायत केस नंबर 1 की संपूर्ण कार्यवाही और साथ ही समन आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की जा रही है। आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2018 के आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील दायर की गई है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपने मामले के समर्थन में कहा कि अपीलकर्ता के पिता और शिकायतकर्ता के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में सिविल सूट नंबर 744, 2015, अनवारुल हक बनाम सज्जाद अली लंबित है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत। अपीलकर्ता पर दबाव बनाने और सिविल जज की अदालत में लंबित संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए, शिकायतकर्ताओं ने मानवाधिकार आयोग, पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपीलकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ तुच्छ शिकायतें दायर की हैं।

4. सेशन जज ने पहले ही धारा 156(3) के तहत उनकी अर्जी खारिज कर दी थी.29.08.2016 को सी.आर.पी.सी. शिकायतकर्ता द्वारा मानवाधिकार आयोग को भेजी गई शिकायत पर पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जांच की गई और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई जैसा कि आरोप लगाया गया है। आवेदन खारिज होने और जांच में अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं पाए जाने के बावजूद शिकायत केस नंबर 1, 2017 दायर किया गया है। शिकायतकर्ता की शिकायत अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है, जो व्यक्तिगत विवाद सुलझाने और अपीलकर्ता और उसके पिता पर संपत्ति विवाद में समझौते के लिए दबाव डालने के लिए की गई है।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय वर्तमान मामले की घटनाओं के क्रम और तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करने में विफल रहा, जिसमें शिकायत रद्द करने योग्य थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत स्पष्ट रूप से दुर्भावना से की गई है और दुर्भावनापूर्ण रूप से गुप्त उद्देश्यों के साथ शुरू की गई है।

6. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उसी घटना के लिए पुलिस ने पहले ही दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 151 , 107 , 115 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है और उन्हें शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाई गई घटना काल्पनिक एवं पूरी तरह झूठी है।

7.शिकायतकर्ता के वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया है और कहा है कि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न की जांच नहीं करेगा कि शिकायत में अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या गलत और न ही उच्च न्यायालय इस स्तर पर साक्ष्य का आकलन करेगा।

8. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा धारा 156 (3) सीआरपीसी दिनांक 29.08.2016 के तहत दायर आवेदन के साथ-साथ दिनांक 11.12.2016 की जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया गया है और अधीक्षक को प्रस्तुत किया गया है। पुलिस, जौपुर अनुबंध सीए/2 के रूप में।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

10. इससे पहले कि हम वर्तमान मामले के तथ्यों और पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों में प्रवेश करें, अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के दायरे और दायरे पर गौर करना आवश्यक है, जिसका प्रयोग सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस न्यायालय के पास अवसर था सीआरपीसी की धारा 482 के दायरे और अधिकार क्षेत्र पर विचार करने के लिए यह न्यायालय हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 सप्ल। (1) एससीसी 335, ने धारा 482 सीआरपीसी/ अनुच्छेद 226 के दायरे और दायरे पर विस्तार से विचार किया थाआपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में संविधान का। अनुच्छेद 102 में, इस न्यायालय ने मामलों की सात श्रेणियों की गणना की है जहां आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 / धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 102 इस प्रकार है: "102। अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 226 या इसके अंतर्गत निहित शक्तियां संहिता की धारा 482 जिसे हमने ऊपर निकाला और पुन: प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलयुक्त और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्री में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है। संहिता की धारा 155(2) के दायरे में ।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत माना गया है ।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/ओ जहां विशिष्ट प्रावधान है कोडया संबंधित अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है। (7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

11. इस न्यायालय ने विनीत कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2017) 13 एससीसी 369 में, धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विचार किया था, उपरोक्त मामले में भी, अतिरिक्त सिविल

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तलब किया था धारा 452 , 376 , और 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपी और उक्त आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण को जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।

12. इस न्यायालय ने बार-बार सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के दायरे की जांच की है और कई सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ कर्नाटक राज्य बनाम एल मुनिस्वामी में , (1977) 2 एससीसी 699, ने माना कि उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को रद्द करने का हकदार है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि कार्यवाही निरस्त की जानी चाहिए। निर्णय के पैरा 7 में, निम्नलिखित कहा गया है: इस संपूर्ण शक्ति के प्रयोग में, उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को रद्द करने का हकदार है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा अदालत या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए। सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत, एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो यह है कि अदालत की कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक आपराधिक मामले में, लचर अभियोजन के पीछे छिपी हुई वस्तु, उस सामग्री की प्रकृति जिस पर अभियोजन की संरचना टिकी हुई है और इसी तरह की चीजें न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को उचित ठहराएंगी। न्याय का लक्ष्य मात्र कानून के लक्ष्य से ऊंचा है, हालांकि न्याय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रशासित किया जाना चाहिए।

13. कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेन्द्रप्पा , (2002) 3 एससीसी 89 मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ को धारा 482 के दायरे का विश्लेषण करके सीआरपीसी की धारा 482 के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला। सीआर.पीसी, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायालय का अधिकार न्याय की उन्नति के लिए मौजूद है और यदि अन्याय उत्पन्न करने के लिए उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। इसने आगे कहा कि न्यायालय को किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे लगता है कि इसे शुरू करना/जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करने से अन्यथा न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। निम्नलिखित पैरा 6 में निर्धारित किया गया था: (एससीसी पृष्ठ 94) “6. सभी अदालतें, चाहे वे दीवानी हों या फौजदारी, उनके संविधान में निहित किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, यह उसे वह देता है जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं रह सकता)। धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, अदालत अपील या पुनरीक्षण अदालत के रूप में कार्य नहीं करती है। इस धारा के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से किया जाना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से, सावधानीपूर्वक और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित हो। इसका प्रयोग पूर्व डेबिटो जस्टिटिया के प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए अकेले अदालतें मौजूद हैं। न्यायालय का अधिकार न्याय की उन्नति के लिए मौजूद है और यदि अन्याय उत्पन्न करने के लिए उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। किसी भी कार्रवाई की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा मिलने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के लिए किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे लगता है कि इसे शुरू करना/जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। जब शिकायत से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है,

तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या आरोप पूरी तरह से स्वीकार कर लिए जाने पर भी कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों को देखने की अनुमति है। न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकता है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या आरोप पूरी तरह से स्वीकार कर लिए जाने पर भी कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों को देखने की अनुमति है। न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकता है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या आरोप पूरी तरह से स्वीकार कर लिए जाने पर भी कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों को देखने की अनुमति है। 14. आगे पैरा 8 में निम्नलिखित कहा गया था: (देवेंद्रप्पा मामला, एससीसी पृष्ठ 95) “8. ...न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होनी चाहिए। न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में सतर्क और विवेकपूर्ण होना चाहिए और प्रक्रिया जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा न हो कि यह किसी निजी शिकायतकर्ता के हाथों में किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध लेने का एक साधन बन जाए। साथ ही यह धारा किसी अभियोजन को शॉर्टसर्किट करने और उसकी अचानक मृत्यु कराने के लिए अभियुक्त को सौंपा गया एक उपकरण नहीं है। धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग का दायरा संहिता और मामलों की श्रेणियां जहां उच्च न्यायालय किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय सुनिश्चित करने के लिए संज्ञेय अपराधों से संबंधित अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, राज्य में इस न्यायालय द्वारा कुछ विस्तार से निर्धारित किए गए थे । हरियाणा बनाम भजन लाल ।”

15. सुंदर बाबू बनाम टीएन राज्य , (2009) 14 एससीसी 244 में, यह न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा था, जहां धारा 482 सीआरपीसी के तहत धारा 498 ए के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन किया गया था। आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि दायर की गई शिकायत कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं थी और आरोप निराधार थे। अभियोजन एजेंसी ने धारा 482 के तहत दायर याचिका का विरोध किया सीआरपीसी ने यह रुख अपनाया कि शिकायत के मात्र अवलोकन से कथित अपराधों के घटित होने का खुलासा होता है और इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसे अनुमति देने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की बात को स्वीकार कर लिया और अर्जी खारिज कर दी. इस अदालत ने भजन लाल के मामले में फैसले का हवाला दिया और माना कि मामला श्रेणी 7 के अंतर्गत आता है। शीर्ष अदालत ने श्रेणी 7 पर भरोसा करते हुए माना है कि धारा 482 के तहत आवेदन अनुमति के योग्य है और उसने कार्यवाही को रद्द कर दिया।

16. विनीत कुमार (सुप्रा) में हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (सुप्रा) के मामले सहित इस न्यायालय के पहले के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 41 में निम्नलिखित कहा: “41. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई अंतर्निहित शक्ति न्याय की उन्नति के उद्देश्य और उद्देश्य से है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी परोक्ष उद्देश्य से न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है, तो न्यायालय को शुरुआत में ही उस प्रयास को विफल करना होगा। यदि मामला हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले में इस न्यायालय द्वारा बताई गई श्रेणियों में से एक में आता है तो अदालत अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दे सकती है।. न्यायिक प्रक्रिया एक गंभीर कार्यवाही है जिसे संचालन या उत्पीड़न के साधन में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब यह इंगित करने के लिए सामग्री होती है कि आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया गया है और कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की गई है, तो उच्च न्यायालय श्रेणी 7 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा । हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल में , जिसका प्रभाव निम्नलिखित है:

“102. (7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है। उपरोक्त श्रेणी 7 वर्तमान मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से आकर्षित होती है। हालांकि हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के फैसले को नोट कर लिया है, लेकिन वर्तमान मामले के प्रासंगिक तथ्यों, सामग्री जिस पर आईओ द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, का विज्ञापन नहीं किया। इस प्रकार, हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि वर्तमान मामला एक उपयुक्त मामला है जहां उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था।"

17. अब, जब हम उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां पार्टियां संबंधित हैं और पड़ोसी हैं । आरोपी और शिकायतकर्ता के पिता के बीच संपत्ति को लेकर सिविल विवाद चल रहा है। अपीलकर्ता को बुलाने का आधार घटना दिनांक 19.07.2016 है जो शिकायतकर्ता के घर के सामने घटित हुई बताई गई है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि 19.07.2016 को पार्टियों के बीच झगड़ा हुआ था और पुलिस ने मौके का दौरा किया और धारा 151 , 107 और 116 के तहत कार्यवाही शुरू की। सी.आर.पी.सी. राज्य ने सीओ, सिटी की दिनांक 11.12.2016 की जांच रिपोर्ट की प्रति रिकॉर्ड में ला दी है, जिसमें जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित कहा गया था: “ पूरी जांच में यह पाया गया कि आवेदक श्री सज्जाद के बीच विवाद था कुरैशी एवं विपक्षी अनवारुल हक द्वारा नाली निर्माण को लेकर दिनांक 19.07.2016 को दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। थाना कोतवाली पर विवाद की सूचना मिलने पर तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई श्री हरि प्रकाश यादव द्वारा धारा 151 , 107 , 116 के तहत कार्यवाही की गई।शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों पर 20.07.2016 को सीआरपीसी की कार्रवाई की गई। पूछताछ के दौरान, माननीय आयोग के समक्ष आवेदक द्वारा दायर शिकायत दिनांक 03.08.2016 का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत समान आरोपों की शिकायत दिनांक 29.08.2016 को दायर की थी माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं.1, जौनपुर के समक्ष जिसमें माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, POCSO अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं.1, जौनपुर, के रूप में अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 14.10.2016 के अनुसार कहा गया है कि उक्त मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं। पूछताछ के दौरान अन्य गवाहों के बयान दर्ज किये गये तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की गयी, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने आवेदक सज्जाद कुरेशी एवं विपक्षी अनवर अली के बीच नाली को लेकर विवाद होने की बात बतायी तथा आवेदन में आवेदक द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत बताया. विपक्षी अहमद अली एवं लियाकत अली पुत्रगण अनवर द्वारा आवेदक की पुत्रियों के साथ गंदा/अशोभनीय कृत्य/कर्म अथवा किसी प्रकार की मारपीट करने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। पूछताछ के दौरान, आवेदक किसी भी प्रकार का मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। आवेदक द्वारा लगाए गए अन्य आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं पूछताछ. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, फिर भी कोतवाली प्रभारी को पक्षों पर निगरानी रखकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।”

18. हमने उपरोक्त रिपोर्ट को केवल घटना के क्रम को समझने के लिए नोट किया है, न कि ठोस साक्ष्य के रूप में। इन्हीं आरोपों पर, शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर किया था, जिसे सत्र न्यायाधीश ने 14.10.2016 के एक आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं बनाया गया है।

19. सत्र न्यायाधीश के उक्त आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण में, इस न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन की अस्वीकृति में हस्तक्षेप नहीं किया , हालांकि, यह देखा कि शिकायतकर्ता के पास उचित आवेदन दायर करने का उपाय है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 2017 की शिकायत संख्या 1 दर्ज की थी। यह सच है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन की अस्वीकृति किसी भी तरह से शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकती है।

20. ऊपर देखे गए घटनाओं के अनुक्रम से, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के पिता के बीच संपत्ति के संबंध में विवाद दिनांक 19.07.2016 की कथित घटना से बहुत पहले से लंबित है। तथ्य यह है कि घटना की उसी तारीख को पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और दोनों पक्षों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 151 , 107 , 116 के तहत कार्यवाही की और दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की आवश्यकता थी, यह झगड़े की प्रकृति का स्पष्ट संकेतक है। पार्टियों के बीच . इसके बाद छह सप्ताह से अधिक समय हो गया जब पहली बार इसके तहत आवेदन किया गया परिवादी द्वारा सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी के विरूद्ध धारा 156(3) सीआरपीसी दायर किया गया था।

21. एक और तथ्य जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को तलब करने के आदेश से उत्पन्न हुआ, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत 19.07.2016 की दो घटनाओं को संदर्भित करती है। एक घटना जो शिकायतकर्ता के घर के बाहर सार्वजनिक हैंडपंप के पास हुई और दूसरी, उसी दिन शिकायतकर्ता के घर में हुई जहां उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता, उनके पिता और अन्य आरोपी घर में घुस गए और शिकायतकर्ता को पीटना शुरू कर दिया और उसकी बेटियाँ. सेशन जज ने अपने समन आदेश में इस बात पर विश्वास नहीं किया जैसा कि शिकायत में बताया गया है, दूसरी घटना। अदालत द्वारा शिकायत में बताए गए घटना के एक हिस्से पर विश्वास न करना स्पष्ट रूप से घटना के पहले हिस्से पर संदेह की छाया डालता है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

22. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय में पक्षों के बीच लंबित सिविल मुकदमे पर ध्यान नहीं दिया है।

23. वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां शिकायतकर्ता द्वारा निजी और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण एक गुप्त उद्देश्य से आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। हालांकि उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर गौर किया, लेकिन मामले के तथ्यों की जांच नहीं की कि क्या वर्तमान मामला इनमें से किसी में आता है । भजनलाल के मामले में बताई गई श्रेणी। वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से भजन लाल के मामले की श्रेणी VII में आता है और उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा।शिकायत पर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में सी.आर.पी.सी.

24. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देना एक आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देना होगा जिसे दुर्भावनापूर्ण रूप से गुप्त उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है, ऐसी आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है न्यायालय की कार्यवाही जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

25. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। 2017 के शिकायत केस नंबर 1, सज्जाद कुरैशी बनाम अनवारुल हक कुरैशी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है।

Civil Judge Junior division

Trainee Judge Pannna